कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site- https://nagarseva.bihar.gov.in/muzaffarpur/, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

पत्रांक– ..... दिनांक ...../2018

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

विषय :– **लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी शहरी स्थानीय निकाय सामाजिक प्रक्षेत्र–1, बिहार, पटना के पत्रांक 14448 दिनांक 10.11.2014 से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन वर्ष 2010–11, 2012–13, 2013–14 को इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि नगर निगम कार्यालय के जवाब को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर आपत्ति मुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०–

(संजय दूबे)
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 2274 / मु0न0नि0, मुज0 दिनांक 17 / 12 /2018

प्रतिलिपि :– निदेशक, ~~लेखा प्रशासन~~, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.12.18

(संजय दूबे)
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site- https://nagarseva.bihar.gov.in/muzaffarpur/, E-mail ID-mmc-muz-dlh@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

वित्तीय वर्ष 2013–14 में लेखा परीक्षा से प्राप्त आपत्ति का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन। अंकेक्षण प्रति0 सं0- 650/2013-14

क्र0 सं0	कंडिका संख्या	लेखा परीक्षा से प्राप्त आपत्ति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1	भाग–1 13 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।	1. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था तथा रोकड़बही एवं बैंक शेष में ₹ 16493962 के अन्तर पाया गया। 2. बैंक खाताओं से प्राप्त सूद की राशि की प्रविष्टियाँ रोकड़बही मे नहीं किये जाने का कारण नहीं बताया गया। 3. उप विकास आयुक्त के पत्रांक 160/07.12.13 एवं 161/07.12.13 द्वारा क्रमशः ₹ 1402901 तथा ₹ 12917255 प्राप्त राशियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में नहीं दर्शाया गया था। 4. सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाना है। लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि नगर निगम द्वारा इन राशियों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा एच डी एफ सी जैसे अराष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा गया था। इस मद की राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंको में नहीं रखने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। 5. सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक मद की राशि को एक कही खाते में रखना है जबकि निगम कार्यलय द्वारा इस राशि को चार बैंक खाताओं में रखा गया था। इसके कारण राशियों की निकासी तथा जमा की प्रविष्टियाँ रोकड़बही में छुटने की संभावना रहती है। इस मद की राशि को चार बैंक खाताओं में रखने का कारण नहीं बताया गया। 6. रोकड़बही का संधारण चार भागों में करने तथा इसे तिथिवार एक साथ संधारित नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। 7. इस राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 की योजनाओं पर मात्र 6.68 प्रतिशत ही किया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि निगम कार्यालय द्वारा नागरिक सुविधाओं को विकसित करने में शिथिलता बरती गई थी।	1. बैंक समाधान विवरणी तैयार कर दी गयी है। 2. सूद की राशि की प्रविष्टयॉ रोकड़ बही में कर दी गई है। 3. 7.12.2013 कैश बुक के पेज नं0 68 पर दर्ज है। पी0एन0बी0 के कैश बुक में दिनांक 28.02.2014 को दर्ज है। 4. उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता बन्द कर दिया गया है। एच.डी.एफ. सी. बैंक में तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा निदेशित किये जाने पर खाता खोला गया था। 5. इसे मदवार एक ही बैंक में करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 6. रोकड़बही का संधारण सुझाव के अनुसार किया जा रहा है। 7. योजना के चयन में सुझाव के अनुसार कार्य किया जायेगा।	
2	भाग–II (ख) 1. स्ट्रीट लाईट के पोलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यवसायिक विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए अधिकार मे अनियमितताएँ।	1. एजेन्सी द्वारा दिनांक 07.04.14 को चेक संख्या 691237 दिनांक 31.03.14 द्वारा ₹ 11 लाख की राशि जमा कराया गया। यह राशि निगम कोष में जमा हुई या नहीं लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया । अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाये। इसके अतिरिक्त शेष रू0 1920073 की राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई। इस राशि की वसूली सबधित व्यक्ति/एजेन्सी से की जाये। 2. एकरारनामा की कंडिका 8 (क), (ख), (ग) (घ), (च) तथा (छ) के अनुसार निगम द्वारा निर्धारित स्थान तथा Specification उपलब्ध कराये	1. चेक संख्या 691237 दिनांक 31.03.2014 निगम कोष में दिनाक 07.04.2014 को जमा किया गया है जिसकी राशि 11 लाख रू0 है, शेष राशि 1920073.00 की वसूली हेतु नियमानुसार विधिसंगत कार्रवाई की जा रही है। 2 मेसर्स समथ एडवरटिजमेंट एजेन्सी को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थल	

	जाने पर एजेन्सी द्वारा अपने खर्च पर प्रतिवर्ष नगर निगम क्षेत्र में रोड डिवाईडर पर फ्लावर पौट्स सक निर्माण कर फूल के साथ उपलब्ध कराना तथा पौट्स पर Anti Pollution & Green & Clean Muzaffarpur का नारा लिखवाना, 4 शीट वाला पेशाबघर का निर्माण कराना, 30 की संख्या में डस्टबीन की व्यवस्था करना, 30 की संख्या में थूकदान की व्यवस्था करना, तीन स्थलों पर प्याउ (स्वच्छ पानी पीने का स्टॉल) निर्माण करना तथा तीन स्थानों पर ऑटो/बस यात्रियों के लिए पड़ाव निर्माण करना था। उक्त पाँच वर्षों में सिर्फ दिनांक 06.04.11 को निगम एजेन्सी को बिना Specification के पाँच स्थानों पर चार शीट वाला पेशाबघर के निर्माण तथा आठ स्थानों पर प्याउ निर्माण के लिए स्थलों की सूची उपलब्ध कराई गई। एजेन्सी ने सूची में उल्लिखित छः प्याउ के निर्माण से संबंधित सूचना निगम को दिया था। इस स्थलों की सूची के अलावा निगम द्वारा एजेन्सी को Specification के साथ स्थलों की कोई सूची उपलब्ध नहीं करायी गई। समय–समय पर निगम द्वारा एजेन्सी को एकरारनामा में उल्लिखित नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए सिर्फ पत्र दिया गया। जबकि एकरारनामा के शर्त्त के अनुसार उपर्युक्त कार्यों से संबंधित स्थलों की सूची तथा Specification निगम द्वारा एजेन्सी को उपलब्ध कराना था जो नहीं कराया गया। जिसके कारण एजेन्सी द्वारा उपरोक्त कार्यों को नहीं कराया गया।	की सूची कार्यालय पत्रांक 2836 दिनांक 13.04.2011, पत्रांक 931 दिनांक 06.04.2011 द्वारा उपलब्ध कराया गया था।
	3. एकरारनामा की कंडिका 8 (ड) के अनुसार एजेन्सी द्वारा निगम को प्रतिवर्ष 250 वॉट का 50–50 सोडियम वैपर लाईट उपलब्ध कराना था। अर्थात एजेन्सी को पांच वर्षों में कुल 250 वाट का 250 सोडियम वैपर लाईट उपलब्ध कराना था जबकि एजेन्सी द्वारा निगम को सिर्फ दिनांक 12.08.09 को 250 वाट का 50 सोडियम वैपर लाईट ही उपलब्ध कराया गया। 250 वाट का 50 सोडियम वैपर लाईट की प्राप्ति से संबंधित भंडार पंजी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा यह भी नहीं बताया गया कि इन 50 सोडियम वैपर लाईटों को निगम क्षेत्र में कहाँ–कहाँ लगाया गया था। वित्तीय वर्ष 2009–10 के बाद के वित्तीय वर्षों में सोडियम वैपर लाईट उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निगम द्वारा एजेन्सी के विरूद्ध कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।	3. एकरारनामा के अनुसार मेसर्स मगध एडवरटिजमेंट एजेन्सी को प्रतिवर्ष 50 अदद वैपर 05 वर्षों तक कुल 250 अदद उपलब्ध कराना था, जिसके विरूद्ध एजेन्सी द्वारा प्रथम् वर्ष में 50 अदद वैपर उपलब्ध कराया गया। परन्तु सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 3318/11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशालोक में संबंधित एजेन्सी का एकरारनामा रदद् कर दिया गया। प्राप्त वैपरों को निगम क्षेत्र में लगवा दिया गया।
	4. एकरारनामा की कंडिका 8 (ज) के अनुसार निगम द्वारा सहमति के साथ पार्कों के रख–रखाव के लिए पार्कों की सूची उपलब्ध कराना था। निगम द्वारा एजेन्सी को पार्कों की कोई सूची उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण इन पार्कों का रख–रखाव एजेन्सी द्वारा नहीं किया गया।	4. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 3318/11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशालोक में संबंधित एजेन्सी के एकरारनामा को रदद् कर दिये जाने के कारण एजेंसी को सूची उपलब्ध नहीं कराया गया।
	5. एकरारनामा की कंडिका 8 (झ) के अनुसार एजेन्सी को सरैयागंज चौक स्थित महात्मा गाँधी टावर (सरैयागंज टावर) तथा उससे पूरब छोटी सरैयागंज चौक पर बने टावर के रख–रखाव तथा आस-पास सौंदर्यीकरण	5. तथैव।

		का कार्य करना था। यह कार्य एजेन्सी द्वारा नहीं किया गया। 6. एकरारनामा की कंडिका 8 (ट) के अनुसार एजेन्सी को मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के प्रवेश बिन्दुओं पर गैन्ट्री गेट का निर्माण कर स्वागत संदेश और आने–जाने वाले यात्रियों को प्रमुख लोकेशन यथा सरकारी कार्यालय, विद्यालय इत्यादि को इंगित चिन्ह द्वारा मार्गदर्शन संदेशों को अंकित करना था। जबकि इन कार्यों को एजेन्सी द्वारा नहीं कराया गया। 7. एकरारनामा की कंडिका 12 के अनुसार निविदित राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत जोड़कर देय राशि के किस्त का भुगतान नहीं करने, प्रतिवर्ष देय नागरिक सुविधा के मद में निर्मित फ्लावर पॉट्स/थूकदान/प्याउ/पेशाबघर/ऑटो या बस पड़ाव/डस्टबीन/पार्कों आदि के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने की किसी भी स्थिति में एजेन्सी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का अधिकार निगम को था तथा एकरारनामा की कंडिका 13 के अनुसार एकरारनामा की शर्त्तों के उल्लंघन करने पर एकरारनामा 30 दिनों के नोटिस के पश्चात् रद्द किया जाना था तथा एजेन्सी द्वारा जमा राशि को जब्त करना था। समय–समय पर निगम द्वारा एजेन्सी को एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं करने तथा राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में पत्र दिया गया था। पत्रों के एकरारनामा के उल्लंघन में एकरारनामा रद्द करने के लिए भी कहा गया। लेकिन निगम द्वारा नागरिक सुविधा से संबंधित कार्य के लिए Specification के साथ स्थलों की सूची उपलब्ध नही करायी गई। इसके अतिरिक्त, एजेन्सी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर एकरारनामा रद्द करने सहित प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।	6. तथैव। 7. तथैव।	
3	भाग–II (ख) 6. निगम द्वारा ₹ 7.25 लाख के सेवा कर की वसूली स्टॉल के किरायदारों से नहीं किया जाना।	1. स्ऑल किरायादारों के साथ की गई एकरारनामा में स्टॉल किराया के अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों की वसूली से संबंधित प्रावधान किये गये थे या नही के बारे में लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया। 2. इस प्रकार के परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग पर लगने वाले सेवा करों की वसूली किरायेदारों से कर केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में जमा नहीं किये जाने का कारण नही बताया गया।	1. वर्त्तमान में सेवाकर की वसूली की जा रही है। 2. वसूली नहीं हो सकी थी इसलिये जमा नहीं की जा सकी।	
4	भाग–II (ख) 7.नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रीट लाईट/वैपर लाईट की मरम्मति एवं रख रखाव के बदले वैपर लाईट लगे पोलों पर विज्ञापन का अधिकार में अनियमितताएँ।	1. दिनांक 08.12.11 (के0वी0 एसोसियट्स द्वारा सुरक्षित जमा की राशि की मॉग किए जाने की तिथि) से 10.10.12 (मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स कोस्ट्रीट लाईट/वैपर लाईट की मरम्मति एवं रख–रखाव के बदले वैपर लाईट लगे पोलों पर विज्ञापन का अधिकार दिये जाने की तिथि) की अवधि में निगम द्वारा निगम क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रीट लाईट/वैपर लाईट लगे पोलों पर विज्ञापन के विज्ञापन शुल्क की वसूली के लिए निगम के जिन कर्मचारियों को लगाया गया था तथा उक्त अवधि में विज्ञापन शुल्क के रूप में हुई वसूली की सूचना लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।	1. सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.01.2012 के प्रस्ताव संख्या 01 में लिये गये निर्णय के आलोक में निगम के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त परामर्शानुसार दिनांक 12.02.2012 को पालों पर विज्ञापन का अधिकार दिये जाने संबंधी निविदा का प्रकाशन कराया गया एवं दिनांक 24.02.2012 को तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा	

2. निगम क्षेत्रान्तर्गत वैपर लाईट लगे पोलों पर विज्ञापन से प्राप्त आय का आकलन किए बिना ही निगम द्वारा निविदा निकाला गया।

3. बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 143 (ii) (ग) के अनुसार जमानत की राशि सामान्यतः वस्तु के आरक्षित एवं निर्धारित मूल्य का दस प्रतिशत होना चाहिए। निविदा में रू0 100000 की जमानत की राशि तथा निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले रू0 5000 की राशि के आकलन के आधार के बारे में नहीं बताया गया।

4. दिनांक 22.02.12 तथा 24.02.12 को निविदादाताओं की निविदा शर्त्तों को पूरा नहीं यिका गया के संबंध में नहीं बताया गया। निविदा समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में निविदादाताओं के संबंध में लिए गये निर्णय से संबंधित कार्यवाही पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तु नहीं किया गया।

5. निविदा अस्वीकार करने के संबंध में निविदादाताओं को सूचित किये गये पत्रों की प्रति लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स के चयन होने पर निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त्त 3 के अनुसार विज्ञापन शुल्क की राशि जमा नहीं करायी गई।

7. निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त्त 1 एवं 2 में उल्लिखित राशि जो मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स द्वारा क्रमशः चेक सं0 573690 दिनांक 28.02.12 तथा 652889 दिनांक 18.2.12 द्वारा जमा करायी हुई दिखाई गई थी लेकिन इसे निगम कोष में जमा नहीं करायी गई।

8. मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स द्वारा जमा की गई चेक सं0 842746 दिनांक 24.03.14 की राशि (₹ 50000) जो दिनांक 09.05.14 को आद्रित हुई बताया गया था तथा निगम कोष में रसीद सं0 21991 दिनांक 17.11.14 द्वारा जमा करायी गई राशि ₹ 160000 को लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया।

9. मे0 बिरला इलेक्ट्रिकल्स द्वारा जमा करायी गई चेक का बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण बार–बार अनाद्रित होने पर निगम द्वारा एजेन्सी के वि☺ आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तथा एकरारनामा को भी रद्द नहीं किया गया।

10. में बिरला इलेक्ट्रिकल्स द्वारा राशि नहीं जमा कराने के बावजूद विज्ञापन अधिकार की अवधि का विस्तार दिया गया।

11. एग्रीमेंट में विज्ञापन शुल्क की राशि में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया।

12. में बिरला इलेक्ट्रिकल्स को पहले अक्टुबर 12 से सितम्बर 13 तक विज्ञापन का अधिकार दिया गया। इसके बाद अक्टुबर 13 से सितम्बर 14 तक तथा अंत में मार्च 15 तक अवधि विस्तार दिया गया। इस अवधि में एजेन्सी द्वारा मात्र ₹ 210000 विज्ञापन शुल्क के रूप में जमा किया हुआ दिखाया गया। अबकि इस अवधि के लिए यदि मे0 मगध एडवर्टाईजिंग गठित निविदा समिति के समक्ष निविदा खोला गया जिसमें निविदा समिति द्वारा मेसर्स विमला ईलेक्ट्रिकल मुजफ्फरपुर को उक्त कार्य का अधिकार रदद् करने हेतु चयन किया गया। फलस्वरूप आपत्ति में वर्णित अवधि 08.12.2011 से 10.10.2012 तक की अवधि में विभाग द्वारा विज्ञापन शुल्क की वसूली हेतु कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई।

2. विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में वैपर लगे पोलों पर विज्ञापन का निगम द्वारा निविदा निकाला गया।

3. तथैव।

4. जानकारी के अभाव में पंजी का संधारण नहीं किया गया। भविष्य में निविदा से संबंधित कार्यवाही पंजी का संधारण किया जायेगा।

5. असफल निविदादाताओं को दूरभाष पर सूचित किया गया। जिस आलोक में दिनांक 21.07.2012 को उनके द्वारा जमा डी0डी0 वापस प्राप्त कर लिया गया।

6. शर्त्त संख्या 03 के अनुसार विज्ञापन शुल्क की राशि निगम कोष में रसीद संख्या 21991 दिनांक 17.11.2014 एवं रसीद संख्या 30088 दिनांक 13.04.2015 द्वारा जमा है।

7. शर्त्त 01 एवं 02 के अनुसार विमला ईलेक्ट्रिकल मुज0 द्वारा दिया गया चेक अनादृत होने के कारण निगम कोष में चेक की राशि नगद जमा कराया गया।

8. चेक की राशि निगम कोष में जमा है।

9. अनादृत चेक की राशि निगम कोष में नगद जमा करा दिया गया है।

10. सशक्त स्थायी समिति में लिये गये निर्णय एवं विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में विमला ईलेक्ट्रिकल को विज्ञापन वसूली हेतु अवधि विस्तार

ब्यूरो को अन्य एजेन्सियों की अपेक्षा अधिक शर्त्तों को पूरा करता था का चयन किया जाता तो निगम का इस अवधि में कुल ₹ 855000 (10 X ₹ 85000 प्रति तिमाही + ₹ 5000) की राशि प्राप्त होती। मे0 मगध एडवर्टाईजिंग ब्यरो का चयन नहीं किये जाने के कारणों को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

13. दिनांक 22.02.12 तथा 24.02.12 को खोले गये निविदा में श्री परिमल कुमार तथा श्री प्रमोद कुमार की जगह श्री संजीव कुमार को इस एजेन्सी का प्रतिनिधि दिखाया गया जबकि इन तिथियों को क्रमशः श्री परिमल कुमार तथा श्री प्रमोद कुमार द्वारा निविदा जमा किया हुआ पाया गया।

14. चयनित निविदादाताओं को उपलब्ध करायी गई चार हजार पॉच सौ चौरासी वैपर/स्ट्रीट लाईटों की सूची की प्रति लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी जाय तथा इन वैपर/स्ट्रीट लाईटों को निगम क्षेत्र में लगाये जाने की तिथि बतायी जाये।

15. योजना पंजी के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना सं0 12/4th FC/12-13 तथा 13/4th FC/12-13 के तहत क्रमशः 300 तथा 200 वेपर लाईट लगाया गया तथा संवेदक को ही एक वर्ष तक रख रखाव की जिम्मेवारी दी गई थी। इस प्रकार उक्त लगाये गये वेपर लाईट की रख–रखाव की जिम्मेवारी एक ही अवधि में दो एजेन्सियों को दी गई।

16. निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त्त तथा एग्रीमेंट के कंडिका 8 के अनुसार संवेदक को प्रत्येक सप्ताह निगम कार्यालय से संपर्क कर खराब वैपर/स्ट्रीट लाईट की सूची प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराकर संबंधित माननीय वार्ड पार्षदों से कार्य संपादन संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर निगम कार्यालय में जमा कराना था। अतः यह बताया जाये कि निगम द्वारा चयनित एजेन्सी को कब–कब खराब वैपर/स्ट्रीट लाईट की सूची दी गई तथा उस सूची में उल्लिखित खराब वैपर/स्ट्रीट लाईट की मरम्मति की जॉच निगम के तकनीकि कर्मी के द्वारा कब–कब करायी गई?

17. निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त्त 1 के अनुसार निविदादाताओं को निविदा में भाग लेने हेतु रू0 5000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना था जो वापस नहीं किया जाना था। दिनांक 22.02.12, 24.02.12 तथा 29.02.12 की निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं द्वारा ₹5000–₹5000 की कुल राशि ₹ 40000 डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं0 355409 दिनांक 17.02.12 652890 दिनांक 18.02.12 652891 दिनांक 18.02.12 652899 दिनांक 24.02.12 218985 दिनांक 24.02.12 652898 दिनांक 24.02.12 551290 दिनांक 28.02.12 तथा 28.02.12 द्वारा जमा कराया गया। लेकिन डिमाण्ड/चेक सं0 218985 दिनांक 24.02.12 652898 दिनांक 24.02.12 551290 दिनांक 28.02.12 तथा 573696 दिनांक 28.02.12 संचिका में संलग्न पाया गया। इसे निगम कोष में जमा नहीं कराने के

दिया गया।

11. विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त परामर्शानुसार विज्ञापन शुल्क से संबंधित एकरारनामा किया गया।

12. विमला ईलेक्ट्रिक मुज0 को वैपर लगे पोलों पर वैपर का रख–रखाव वगैरह के शर्त्त पर विज्ञापन वसूली का अधिकार दिया गया, जबकि मेसर्स मगध को वैपर लगे पोलों को छोड़कर विज्ञापन वसूली का अधिकार दिया गया। दोनों एकरारनामा भिन्न–भिन्न है। जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगां

14. आने वाले अंकेक्षण दल को संबंधित सूची दिखा दिया जायेगा।

निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता से प्राप्त चेक संख्या 355409 दिनांक 17.02.2012, चेक संख्या 652891 दिनांक 18.02.2012 एवं चेक संख्या 652890 दिनांक 18.02.2012 निगम कोष में जमा है। चूँकि उक्त निविदा के अनुसार ही निर्धारित तिथि 18.02.2012 के बदले 29.02.2012 को निविदा पर निर्णय लिया गया एवं निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता भी वही थे जिस कारण शर्त्त के अनुसार पूर्व की तिथि दिनांक 18.02.2012 एवं 24.02.2012 के

		कारण निगम को ₹ 20000 राशि हानि हुई। डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं0 355409 दिनांक 17.02.12 652890 दिनांक 652891 दिनांक 18.02.12 652899 दिनांक 24.02.12 द्वारा प्राप्त राशि को निगम कोष में जमा कराने से संबंधित साक्ष्य संचिका में उपलब्ध नहीं पाया गया । इन डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक की राशि निगम कोष में जमा कराये जाने से संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।	निविदादाता द्वारा पूर्व में जमा चेक वापस ले लिया गया। जिसका साक्ष्य आने वाले लेखा परीक्षा दल को दिखा दिया जायेगा।	
		18. निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त्त 2 के अनुसार निविदादाता को जमानत की राशि के रूप में रू0 100000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम मुजफ्फरपुर के नाम से देय था निविदा के साथ संलग्न करना था। सफल निविदादाता को छोड़ शेष निविदादाताओं को जमानत की राशि से संबंधित डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस करना था। मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स के चयन होने पर उनके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि निगम कोष में जमा नहीं करायी गई तथा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।	18. मेसर्स विमला ईलेक्ट्रिक मुज0 द्वारा दिया गया जमानत की राशि निगम कोष में जमा है जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	
		19. दिनांक 18.02.12 को प्राप्त हुए निविदा में मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स तथा मे0 रम्भा इलेक्ट्रिकल्स की निविदा के साथ तथा 24.02.12 को प्राप्त हुए निविदा में बिमला इलेक्ट्रिकल्स एवं मे0 मगध एडवभरटाईजिंग ब्यूरों की निविदा के साथ जमा की जाने वाली रू0 5000 –रू0 5000 की राशि तथा दिनांक 18.02.12 को प्राप्त हुए निविदा में मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स द्वारा जमा दिखाये गये ₹ 100000 की राशि का चेक एक ही व्यक्ति के चेक बुक से जारी किया हुआ पाया गया। इसकी जॉच निविदा के समय नहीं की गई।	19. भविष्य में इस प्रकार के कार्य पर सतत् निगरानी रखी जायेगी।	
		20. निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त्त 1 के अनुसार निविदादाताओं को निविदा में भाग लेने हेतु चेक रू0 5000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना था जो वापस नहीं किया जाना था। लेकिन 18.02.12 को मे0 रम्भा इलेक्ट्रिकल्स तथा मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स से प्राप्त निविदाओं, दिनांक 24.02.12 को मे0 मगध एडीारटाईजिंग ब्यूरों तथा बिमला इलेक्ट्रिकल्स से प्राप्त निविदाओं तथा दिनांक 24.02.12 को मे0 राम इलेक्ट्रिकल्स तथा मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स से प्राप्त निविदाओं के साथ ₹ 5000 –₹ 5000 के डिमाण्ड ड्राफ्ट के सीन पर चेक स्वीकार किया गया था।	20. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।	
		21. मे0 बिमला इलेक्ट्रिकल्स के चयन करने के बाद इनसे अद्यतन बिक्री कर सफाया प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया गया।	21. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।	
5	भाग–II (ख) 9. टेम्पू पड़ाव की बंदोबस्ती।	1. चेक संख्या 000084 दिनांक 31.07.13 के अनादित होने के बाद निगम द्वारा चेक सं0 000085 एवं 0000088 को बैंक में भुगतान हेतु भेजा गया। 2. जब पहला चेक 13.08.13 को ही अनादित हो गया था तो उसी समय उस पर कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई तथा उक्त व्यक्ति की	संबंधित चेक अनादित होने के बाद नियमानुसार अनादित चेक की राशि जुर्माना सहित वसूली की कार्रवाई हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की गई तदुपरान्त उक्त बंदोबस्ती	

		बंदोबस्ती तत्काल रद्द नहीं की गई। 3. उक्त व्यक्ति की बंदोबस्ती रद्द करने का आदेश नबम्बर में दिया गया जबकि प्रथम चेक सं0 000084 दिनांक 31.07.13 राशि ₹ 6,00,000/– बैक में जमा के पश्चात् 13.08.13 को ही अनांद्रित हुआ। इस प्रकार चार महीने बाद निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4. दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक टेम्पू पड़ाव की विभागीय वसूली की गई जिससे निगम को कुल ₹ 80,570/– प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष 2013–14 में निगम को कुल ₹ 1339430/– (₹ 2580000/12X8–300000–₹ 80,570) की हानि हुई जो संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है। 5. बन्दोबस्ती की शर्त्त 7 एवं 8 का पालन नहीं किया गया। 6. राज्य सरकार के पत्रांक 19201 मुख्य सचिव दिनांक 14.08.08 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन के पत्र संख्या 549/15.03.05 के अनुसार कुल बंदोबस्ती की राशि का 3 प्रतिशत के स्टाम्प पर बंदोबस्ती का निबंधन किया जाना है। लेकिन इस बंदोबस्ती में ऐसा नहीं किया गया जिससे निगम को ₹ 77,000 की हानि हुई। जो संबंधित व्यक्ति/कर्मचारी से वसूलनीय है।	को रदद् कर दी गयी। इससे संबंधित कोई आदेश/निदेश कार्यालय में प्राप्त नहीं रहने के कारण 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई जानकारी होने के बाद से उक्त शुल्क लिया जा रहा है।	
6	भाग–II (ख) 10. टेम्पू पड़ाव की विभागीय वसूली में हानि।	1. बंदोबस्ती रद्द करने के उपरान्त द्वितीय डाक वक्ता को निविदित दर पर वसूली हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। 2. विभागीय वसूली की स्थिति में प्रत्येक महीने के अंत में Progress Report नहीं लिया गया जिसे वसूली की स्थिति का पता चलता। अगर वसूली संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता था। इस प्रकार बंदोबस्ती रद्द करने के उपरान्त द्वितीय निविदादाता को उसके निविदित दर पर वसूली हेतु आमंत्रण का प्रस्ताव अथवा पुनर्निविदा की प्रक्रिया किए जाने से निगम को हुई क्षति से बचा जा सकता था।	1. द्वितीय डाकवक्ता डाक लेने को तैयार नहीं हुये। 2. बार–बार अखबार में बंदोबस्ती हेतु विज्ञापन दिया गया किन्तु निर्धारित राशि में लेने को कोई तैयार नहीं हुआ।	
7	भाग–II (ख) 17. संचार टावरों का अधिष्ठापन तथा पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क से संबंधित संचिका का अपूर्ण एवं अस्पष्ट संधारण।	1. नगर निगम क्षेत्र में स्थापित मीनारों तथा उसमें लगे एंटिनों के मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। 2. वर्ष 2013–14 तक कितने टावरों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किए गए थे के संबंध में नहीं बताया गया। 3. नगर निगम क्षेत्र में 31 मार्च 2014 तक स्थित कुल टावरों के विरूद्ध कितनी राशि बकाया थी की गणना नहीं की गई थी। 4. वर्ष 2013–14 में मोबाईल टावरों द्वारा राजस्वों को जमा नहीं करने पर कितने टावरों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई की सूची उपलब्ध नहीं करायी गई। 5. नगर निगम क्षेत्र में स्थापित संचार मीनारों एवं अतिरिक्त एंटिनाओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए निगम कार्यालय द्वारा कब सर्वेक्षण	निगमक्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित टावरों का पंजी अंकेक्षण दल को दिखाया गया है। निदेशानुसार ही कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा विभिन्न टावर कम्पनियों को नोटिस/डिमाण्ड भेजा गया। कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में श्रृंखलाबद्ध वाद दायर किया गया। विभिन्न कम्पनी का 244 मोबाईल टावर अधिष्ठापित है जिसे डिमाण्ड नोटिस भेजे जाने के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इन्फ्राटेल द्वारा 1,68,38,000.00 एवं टावर	

		कराया गया तथा इसके लिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया गया के संबंध में नहीं बताया गया। 6. इन मोबाईल टावरों को कब–कब अधिष्ठापित किया गया के संबंध में नहीं बताया गया।	विजन द्वारा 2,50,000.00 का बैंक गारन्टी जमा किया है। शेष टावर से नियमानुसार नवीनीकरण की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	
8	भाग–II (ख) 18. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रशिक्षण पर अनियमित व्यय (₹ 5.43 लाख)।	1. बी.पी.एल. परिवार के युवक एवं युवतियों द्वारा जो आवेदन निगम कार्यालय को प्राप्त हुआ उसकी सूची न तो संचिका में पाया गया और न ही कार्यालय द्वारा मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार यह ज्ञात नही किया जा सका कि वास्तव में कुल कितने आवेदन निगम को प्राप्त हुए थे। 2. प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के द्वारा अगर प्रशिक्षण दिया गया था तो प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र एवं टूल किट्स दिया जाना था। संचिका से ज्ञात नही किया जा सका कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण मिला या नहीं। अगर प्रशिक्षण मिला तो उन्हें प्रमाण पत्र एवं टूल किट्स दिया गया इस का कोई प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया। 3. टूल किट्स के क्रय संबंधी कोई भी अभिश्रव/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. मार्गदर्शिका के अनुसार प्रशिक्षण देने के बाद 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था। कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया से संबंधित सूचना संचिका में नहीं पाया गया। संचिका के अनुसार कुल 99 आवेदन विभिन्न ट्रेडों में प्राप्त हुए। उसमें से एन.जी.ओ. संस्था द्वारा 86 युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमे मात्र 72 लाभार्थियों द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया लेकिन इसका कोई प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया। 5. प्रशिक्षण देने के लिए कार्यालय द्वारा चार संस्थाओं का चयन किया गया विवरण निम्न है – (1) जन कल्याण समिति चिरैयाटॉड खास महल रोड नं0 3 (2) तिरहुत समग्र विकास परिषद् समस्तीपुर (3) दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान पटना (4) समाधान सेवा समिति पटना उक्त संस्थाओं में तिरहुत समग्र विकास परिषद् को छोड़कर बाकी किसी संस्था के साथ नगर निगम के द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया था। साथ ही संस्थाओं को चयन किस आधार पर किया गया एवं ये संस्थाएँ इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए पंजीकृत थे या नहीं लेखापरीक्षा में नहीं बताया गया। 6. मार्गदर्शिका के अनुसार टूल किट्स की राशि संस्था द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को निगम कार्यालय द्वारा अनुमोदित करने के बाद भुगतान करना था लेकिन कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और कुल राशि का	वर्त्तमान में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना बन्द हो चुका है। प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि के संबंध में अगले अंकेक्षण दल को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।	

		भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार प्रशिक्षण पर किया गया व्यय ₹ 543800 अनियमित था। इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।		
9	भाग–II (ख) 21. योजनाओं में अनियमितताएँ।	1. उपर्युक्त दोनों योजनाएँ समान प्रकृति की थी परन्तु इसे विभक्त कर अलग–अलग योजना की गई। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार नगर निगमों से पच्चीस लाख रूपये से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम के प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों योजनाएँ जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 25 लाख रूपये से अधिक थी एक योजना किये जाने से नगर निगम की स्वीकृति आवश्यक होती। 2. उपर्युक्त दोनों ही योजनाओं में निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार राज्य सरकार/निगम बोर्ड बिहार के समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक जो ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्युत अधिष्ठापन के कार्य हेतु अधिकृत हो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की गई थी। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दो निविदादाता यथा मे0 इलेक्ट्रिक एम्पायर, मुजफ्फरपुर एवं मे0 श्री राम इलेक्ट्रिक मुजफ्फपुर द्वारा दोनों कार्ययोजनाओं हेतु निविदा डाली गई। फर्म श्री राम इलेक्ट्रिक मुजफ्फरपुर का विद्युत ठेकेदार अनुज्ञा पंजीकरण संख्या 3746 दिनांक 31.10.2007 था जिसका निर्गत तिथि के पश्चात् नवीकरण नहीं कराया गया था। 3. दोनों कार्य योजनाओं में सामग्रियों का क्रय यथा 150 वॉट सोडियम वैपर लाईट, चॉक, इग्नीटर, कन्डेसर फिलिप्स मॉडल सं0 SRx1086/150SV फिलिप्स कम्पनी अथवा क्राम्पटन/बजाज कम्पनी, हैवल्स/एंकर का PVC coated copper wire. National कम्पनी का अल्युमीनियम तार 16 एम्पीयर मेन स्वीच हैवल्स कम्पनी का एवं पोल पर फिटिंग का सामान आदि था। उक्त सामाग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन की प्राक्कलित राशि की गणना का आधार संचिका में उपलब्ध नहीं था। 4. अभिकर्त्ता को कार्यादेश की तिथि 22.01.2013 में तीन माह के अन्दर कार्य सम्पादित करना था परन्तु उक्त कार्य 01.03.2014 अर्थात 13 माह में संपन्न हुआ। संचिका के अनुसार कंपनी के द्वारा सामान आपूर्त्ति नहीं करने के कारण अभिकर्त्ता को मई 2013 में कार्य संपन्न करने हेतु तीन माह का समय विस्तार दिया गया था इसके अतिरिक्त हुए विलम्ब के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया गया। 5. कार्यादेश/परिमाण विपत्र में वर्णित कम्पनी हैवल्स का सोडियम वैपर लाईट आपूत्ति में सक्षम नहीं होने पर अभिकर्त्ता द्वारा सूर्या कम्पनी की सामग्री आपूर्त्ति करने का अनुरोध पत्र दिया गया जिसे निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। नियमानुसार क्रय किये जाने वाले सभी सामाग्रियों को निगम द्वारा भंडार पंजी में आवश्यक जॉच के बाद दर्ज कर निगम अभियंता की निगरानी में		

चिन्हित स्थलों पर अधिष्ठापन का कार्य कराना चाहिए। इसके विपरित अभिकर्त्ता द्वारा विभिन्न स्थलों पर लगाये जाने का प्रमाण पत्र वार्ड पार्षदों से प्राप्त कर भुगतान प्राप्त किया गया।

6. सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में गठित जॉच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वैपर लाईट विहित कम्पनी की नही लगाया गया था। इस प्रकार अभिकर्त्ता द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया।

7. योजना संचिका में संलग्न वार्ड पार्षदों के प्रमाण पत्र के अनुसार अधिष्ठापित वैपर लाईट इस प्रकार थी –

क्र0 सं0	योजना सं0	लगाये जाने वाले कुल वैपर लाईट की संख्या	समर्पित प्रमाण पत्रों के अनुसार लगाये गये लाईटों की सं0	कम लगाये गये लाईटों की सं0
1	12/4th SFC/12-13	300	255	45
2	13/4th SFC/12-13	200	165	35
कुल				80

इसके अतिरिक्त कुल 49 वार्डो के विरूद्ध मात्र 18 वार्डो में अधिष्ठापित वैपर लाईट के स्थल का विवरण दर्ज था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 80 वैपर लाईट का भुगतान अनियमित रूप से किया गया।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1598 दिनांक 09.07.2013 के अनुसार योजनाओं में कराये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान के लिए वार्ड पार्षदों की अनुशंसा नहीं ली जानी थी जिसका पालन नहीं किया गया।

जवाब दिया गया कि अलग–अलग दो योजना इसलिए किया गया कि अधिक से अधिक संवेदक निविदा में शामिल हो और अधिक प्रतिस्पर्धी दर निविदा में प्राप्त हो सके। उक्त निविदा में श्री राम इलेक्ट्रिक मुज0 को कार्य आवंटित नहीं किया गया है। कोटेशन के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया है। फिलिप्स, बजाज एवं क्रॉम्पटन का वैपर लाईट स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं रहने एवं माननीय वार्ड पार्षद द्वारा स्थल चयन में विलम्ब के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा माननयी वार्ड पार्षदों द्वारा चयनित स्थलों पर वैपर लाईट निगम के अभियंता के देख–रेख में अधिष्ठापित किया गया है। जिसकी प्रविष्टि मापीपुस्त में दर्ज है। वार्ड पार्षदों द्वारा अधिठापन का प्रतिवेदन देने के आधार पर भुगतान किया गया है। अधिष्ठापन का स्थल पंजी तैयार किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है।

चूँकि संवेदक के द्वारा लाईट अधिष्ठापन का कार्य कनीय अभियंता के देखरेख में संबंधित माननीय वार्ड पार्षद की उपस्थिति में कराया गया था। इसलिये संबंधित माननीय वार्ड पार्षदों के प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की गयी थी।

		अतः संतोषप्रद जवाब दिये जाने तक भुगतान की कुल राशि रू0 2861831 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।		
10	भाग–II (ख) 21. योजनाओं में अनियमितताएँ 2. योजना का नाम–(1) वार्ड नं0 1 से 24 तक प्रत्येक वार्ड में 2–2 अदद कुल 48 अदद 125mmx40mm diax61m deep hand operated Tubeweel with india Mark III चापाकल गाड़ने का कार्य।	1. समान कार्य यथा चापाकल गाड़ने की योजना को दो भाग में विभक्त किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने संबंधी विवरण संचिका में उपलब्ध नहीं थी। सक्षम प्राधिकार से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध नहीं कराया गया। 3. निगम द्वारा संधारित Tubewell रजिस्टर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. उपर्युक्त दोनों ही योजना में मात्र योजना सं0 $25/4^{th}$ SFC/12-13 में अभिकर्त्ता द्वारा मांगी गई तीन माह का अवधि विस्तार स्वीकृत किया गया था विलम्ब से कार्य समाप्त करने हेतु अभिकर्त्ता से कोई दण्ड की कटौती नहीं की गई। 5. कार्यादेश में वर्णित शर्त्त के अनुसार चापाकल में लगने वाले सामग्री प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए था। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपनायी गई प्रक्रिया को लेखापरीक्षा में नहीं बताया गया। 6. मापी पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि योजना स0–$25/4^{th}$ SFC/12-13 हेतु संधारित मापी पुस्त सं0 1125 में म 27 स्थानों का विवरण था यद्यपि भुगतान 48 स्थानों पर चापाकल गाड़े जाने के विरूद्ध किया गया था। इसी प्रकार योजना सं0–$26/4^{th}$ SFC/12-13 हेतु संधारित मापी पुस्त सं0 1134 में 34 स्थलों का नाम दर्ज था यद्यपि भुगतान 50 स्थानों पर चापाकल गडाई के लिए किया गया था। स्थलों की पूर्ण सूची उपलब्ध कराकर भौतिक जॉच कराने की व्यवस्था की जाए।	भौतिक जॉच के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की गई है।	
11	भाग–II (ख) 21. योजनाओं में अनियमितताएँ 3.योजना का नाम–वार्ड सं0 17 के अन्तर्गत संजय कुमार के घर से चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण।	1. प्राक्कलन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त सड़क कुल लम्बाई 580 चौड़ाई 12 में तैयार किया जाना था जिसमें पूर्ण क्षेत्रफल में 1 मोटाई में स्थानीय बालू भराई, सीनीय बालू के साथ ईंट सोलिंग एवं तत्पश्चात् 8" (1:1.5:3 के अनुपात में) ढलाई था। प्राक्कलन में कार्य पूर्णता की दर में सुधार किया गया था यथा ईंट सोलिंग का दर रू0 196.98 / M^2 को काटकर रू0 239.35 / M^2 पी.सी.सी. के दर रू0 6095.31 / M^3को रू0 6112.97 / M^3 2. मापी पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रथम मापी दिनांक 10.04. 2013 को किया गय था जिसके अनुसार निम्नलिखित कार्य किया गया था– (i) सीनीय बालू भराई 460' लम्बाई में एक समान रूप से 1' (औसतन 12' चौडाई) मोटाई मे। (ii) ईंट सोलिंग कार्य 460' लम्बाई मे।	जमानत के रूप में कटौती की गयी 10 प्रतिशत के विरूद्ध 05 प्रतिशत राशि संधारण अवधि 05 वर्ष के पश्चात् लौटायी जा रही है। 05 प्रतिशत टी0डी0 / एन0एस0सी0 अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में लौटाई जाती है।	

		(iii) पी.सी.सी. कार्य 460' लम्बाई में औसतन 12'चौड़ाई एवं 8" मोटाई में। पुनः द्वितीय मापी दिनांक 15.04.2013 को किया गया था जिसके अनुसार निम्नलिखित कार्य यिका गया था– (i) सीनीय बालू भराई 132'11" लम्बाई में औसतन चौड़ाई 12' एवं मोटाई 1' (ii) ईंट सोलिंग कार्य सीनीय बालू के साथ। (iii) पी.सी.सी. कार्य (1:1.5:3 की मात्रा में) 8" मोटाई में। 3. निविदा की शर्त्त के अनुसार अभिकर्त्ता द्वारा निर्माण समाप्ति से पॉच वर्षो तक पथ का संधारण करना था एवं अग्रधन, संरक्षित जमा के रूप में जमा/काटी गई कुल 10 प्रतिशत राशि का आधा अर्थात 5 प्रतिशत राशि संधारण पद में निगम के पास जमा रहेगा जो संधारण अवधि 5 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त ही विमुक्त किया जाएगा। परन्तु उक्त शर्त्त के विपरीत TD की राशि वापस की गई। 4. योजना की फोटोग्राफी नहीं करायी गई थी।		
12	भाग–II (ख) 22. नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के चापाकल एवं पब्लिक पोस्ट के वार्षिक रख–रखाव।	1. एकरारनामा एवं कार्यादेश में विहित शर्त्तों के अनुसार अभिकर्त्ता द्वारा करवाये गये कार्य का विवरण पाक्षिक प्रतिवेदन अधीक्षक जलकार्य को समर्पित किया जाना था एवं कुल वार्षिक रख–रखाव चार्ज (AMC) का अधिकतम 1/12 भाग ही मासिक भुगतान किया जाना था। कंडिका 3 (एकरारनामा) के अनुसार प्रत्येक महीने इंडिया मार्क III चापाकलों, साधारण चापाकल एवं पब्लिक पोस्ट के सही चलने का प्रतिवेदन अधीक्षक जलकार्य का पास जमा करना था। संचिका अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अभिकर्त्ता द्वारा माह सितम्बर 2011 का प्रतिवेदन समर्पित किया गया था एवं जिसकी जॉच पाईप लाईन निरीक्षक जलकार्य एवं जलकार्य अधीक्षक द्वारा की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:–		

क्र0 सं0	चपाकल	संख्या	दर	कुल
1	इंडिया मार्क III	69	3000	207000
2	चापाकल साधारण	85	1800	153000
3	पब्लिक पोस्ट	70	500	35000
वार्षिक				395000

भुगतेय एक माह(सितम्बर 2011) ₹32916

संचिका में संलग्न अग्रेतर माह के प्रतिवेदन की जॉच जलकार्य विभाग द्वारा नही की गयी थी।

विमला इलेक्ट्रिकल्स के पत्रांक शुन्य दिनाक 07.12.2011 द्वारा तीन माह (सितम्बर से नबम्बर 2011) के भुगतान (रू0 318650) का अनुरोध किया

गया था एवं भुगतान नहीं होने की दशा में आगे की सेवा देने से असमर्थता बतायी गई थी।

2. अधीक्षक जलकार्य के ज्ञापांक 01 (WW) दिनांक 16.02.2013 द्वारा तीनों पाईप लाईन निरीक्षकों से विभिन्न वार्डों में लगे इंडिया मार्का– III, साधारण चापाकलों की वर्त्तमान स्थिति एवं पूर्व में संवेदक द्वारा इसकी मरम्मति कराई गई अथवा नहीं संबंधी प्रतिवेदन मॉगी गई तदनुरूप निरीक्षकों द्वारा (24.02.12) प्रतिवेदित किया कि–

क्र0 सं0	निरीक्षक का नाम (श्री)	वार्ड सं0	स्थिति	अभ्युक्ति
1	धमेन्द्र चौधरी	34 से 49 एवं वार्ड 22	इंडिया मार्का बंद–24, चालू–10 चापाकल–बंद–69, चालू–50	तीन–चार माह पूर्व मरम्मति कार्य हुआ था। वर्त्तमान में खराबी के कारण बंद है।
2	दीपक कुमार	1से 17	इंडिया मार्का बंद–21, चालू–19 चापाकल–बंद–57, चालू–65	पूर्व में इसकी मरम्मति हुई थी जो तीन चार माह से बन्द है।
3	अनिल प्रसाद	वार्ड सं0–18 से 21 एवं 23 से 33 तक	इंडिया मार्का बंद–27, चालू–10 चापाकल–बंद–64, चालू–55	पूर्व में इसकी मरम्मति हुई थी जो तीन चार माह से बन्द है।

उपर्युक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मरम्मति का कार्य एक बार कराया गया था तत्पश्चात् संधारण का कार्य नहीं किया गया। निगम के पत्रांक 3443 दिनांक 26.12.12 द्वारा मेसर्स विमला इलेक्ट्रिकल्स को भुगतान पूर्व विपत्रों की जॉच हेतु जलापूर्त्ति समिति से प्रतिवेदन मॉग की गई। समिति द्वारा स्थानीय वार्ड पार्षद की अनुशंसा के आधार पर भुगतान को स्वीकृति दी गई। समिति को स्थानीय जनता द्वारा बताया गया कि एक साल पूर्व मरम्मति कार्य कराया गया था।

उपर्युक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि भुगतान पूर्व आवश्यक प्रक्रिया का संबंधित भुगतान माननीय वार्ड पार्षदों के कार्य सत्यापन, पार्षद कमिटी के प्रतिवेदन तथा दिनांक 15.04.2013 के निगम बोर्ड की बैठक के निर्णय के आलोक में भुगतान किया गया।

		पालन नहीं किया गया।		
13	भाग–II (ख) 24. हैण्ड ट्रॉली का क्रय में अनियमितताएँ।	1. क्रय पूर्व आवश्यक प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया। 2. तुलनात्मक विवरणी के अनुसार हैण्ड ट्रॉली आपूर्त्ति हेतु दोनों आपूर्त्तिकर्त्ता क्रमशः (1) मेसर्स IOTA Engineering Corporation एवं (2) M/s Sangam Engineering Work द्वारा रू0 10045 (वैट अतिरिक्त) एवं रू0 13888 प्रति नग दर दिया गया था। संगम इन्जिनियरिंग वर्क से दर वार्त्ता के पश्चात् 160 हैण्ड ट्रॉली का क्रय ₹12000 प्रति (5 प्रतिशत वैट सहित) अदद के आधार पर किया गया। दर एवं गुणवत्ता पर दोनों ही फर्मों के साथ वार्त्ता नहीं किया गया था। इस प्रकार मेसर्स IOTA Engineering की कम दर ₹ 10547 (5 प्रतिशत वैट सहित) के स्थान पर मेसर्स संगम इंजीनियरिंग वर्क की दर ₹12000 प्रति (5 प्रतिशत) पर 160 हैण्ड ट्रॉली का क्रय करने से कुल ₹232480 की हानि हुई। जो संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है। 3. निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार मात्र 60 हैण्ड ट्रॉली क्रय किया जाना था जबकि कुल 160 ट्रॉली का क्रय किया गया। प्रारम्भ में ही 160 ट्रॉली क्रय हेतु निविदा आमंत्रण किये जाने से दो से अधिक फर्मों से प्रतिस्पर्धीत दर का विकल्प प्राप्त होता। 4. निविदा के साथ कुल निविदित राशि का 5 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना था परन्तु किसी फर्म द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करायी गई थी। 5. आपूर्त्ति के समय आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूरित सामग्री के साथ निविदा में उल्लिखित विशिष्टियॉ/वारंटी/गारंटी का प्रमाणपत्र देना था जो नहीं दिया गया। 6. आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूरित सामग्रियों के गारंटी अवधि समाप्ति के पश्चात् दो वर्षों तक निःशुल्क अपने मैकेनिक से मरम्मति कार्य कराने का एकरारनामा करना था परन्तु एकरारनामा नहीं किया गया। 7. क्रय किये गए 160 हैण्ड ट्रॉली के भंडार पंजी में इंदराज एवं अद्यतन भौतिक स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। 8. मे0 संगम इंजिनियरिंग वर्क्स द्वारा पूर्व में खराब ड्रेन क्लीनर आपूर्त्ति किये जाने के कारण न्यायालय में वाद दायर था तथापि उक्त फर्म को आपूर्त्ति आदेश देने का औचित्य नहीं बताया गया।	मेसर्स संगम ईन्जिनियरिंग द्वारा उद्धृत दर एल 1 था एवं न्यायालय का निर्णय नहीं आने के कारण उनसे आपूर्त्ति ली गई थी।	
14	भाग–II (ख) 27. विद्युत विपत्र भुगतान पर व्यय।	1. नगर निगम के पत्रांक 468/मु0न0नि0 दिनांक 08.08.2014 द्वारा सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को विद्युत बोर्ड के भवनों पर होल्डिंग कर एवं जमीन किराया मद में ₹ 3012.31 करोड़ बकाया की सूचना दी गई थी एवं भुगतान कराने हेतु अनुरोध किया गया	इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा N.B.P.D.I.L. एवं नगर निगम को 50 प्रतिशत–50 प्रतिशत पर विद्युत विपत्र एवं होल्डिंग टैक्स	